

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363  
आवास - 0551 -



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

प्रेषक,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2016/264..  
सेवा में,

दिनांक 08/3./2016

प्रबन्धक,

रमेश चन्द्र राय नवतप्पी महाविद्यालय, रामपुरगढ़, देवरिया।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक शून्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ० सुबोध कुमार सिंह	श्री हरदत्त सिंह	24.01.1960	विभागाध्यक्ष, बी०एड० विभाग
2	श्री कृष्ण गोपाल	श्री डालचन्द्र	19.02.1979	प्रवक्ता, बी०एड०
3	श्री वृजेश कुमार	श्री राम सिंह	05.05.1979	प्रवक्ता, बी०एड०
4	श्री रविन्द्र कुमार व्यास (अनुसूचित)	श्री शिवराम व्यास	20.04.1985	प्रवक्ता, बी०एड०
5	श्री विनोद कुमार (अनुसूचित)	श्री ओम प्रकाश	10.06.1981	प्रवक्ता, बी०एड०
6	श्री प्रदीप कुमार	श्री तालेवर सिंह	01.04.1983	प्रवक्ता, बी०एड०
7	श्री अतुल कुमार	श्री अमर सिंह	26.10.1980	प्रवक्ता, बी०एड०
8	श्री हरिओम यादव	श्री ज्ञान सिंह	30.07.1979	प्रवक्ता, बी०एड०
9	बबिता कुमारी	श्री मनोहर लाल	15.07.1986	प्रवक्ता, बी०एड०
10	श्री शिवपूजन	श्री मान सिंह	02.07.1981	प्रवक्ता, बी०एड०
11	श्री शिव सिंह	श्री बहरे सिंह	10.06.1976	प्रवक्ता, बी०एड०
12	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री सामन्त सिंह	02.07.1977	प्रवक्ता, बी०एड०
13	श्री राजकुमार सिंह	श्री बुद्धपाल सिंह	05.12.1974	प्रवक्ता, बी०एड०
14	श्री दिलीप कुमार	श्री उदय नारायण	16.08.1983	प्रवक्ता, बी०एड०
15	श्री फिरोज खान	श्री मुन्ना खान	01.07.1982	प्रवक्ता, बी०एड०
16	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	श्री प्रेमचन्द गुप्ता	22.10.1981	प्रवक्ता, बी०एड०

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- क्रम संख्या 4 एवं 5 पर चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणैतार कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भक्तेश्वर,  
प्रभारी/अधीक्षक  
(सम्बद्धता)